भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4664
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और सहायता सेवाएं

4664. श्री आर. के. चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) उक्त राज्य में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बाल श्रम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मंत्रालय को आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) महिला एवं बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ग्रामीण महिलाओं सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में सरकार ने महिलाओं के

शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके कल्याण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत, लगभग 10.29 करोड़ महिलाएं करीब 91.75 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं जो देश में ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर रही हैं।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दे रही है।

महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने हेतु श्रम संहिताओं में अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कई ठोस प्रावधान शामिल किए गए हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत उत्पन्न रोजगारों में कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को देना अनिवार्य किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में मकानों का स्वामित्व महिला को देने पर विशेष जोर दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन, कुछ अपवादों को छोड़कर, महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा।

‘स्वच्छ भारत मिशन’ के अंतर्गत 12.47 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10.33 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस का कनेक्शन देने तथा ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत

15.51 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने से सभी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है, क्योंकि इससे उनकी कठिन मेहनत और देखरेख का बोझ कम हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम, कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या उनकी भरपाई करने में मदद कर रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागान फसलों, तिलहन प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी और पशुधन, कताई मिलों, हथकरघा और पावरलूम बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं इत्यादि से संबंधित कार्यकलाप चलाने वाली सहकारी समितियों में लगी हुई हैं।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित की हैं। आज, पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

देश में महिला सशक्तीकरण और सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ा कदम, सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (एक सौ छठा संविधान संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है, जिसके तहत लोक सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा सहित राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना को 3 प्राथमिक घटकों में पुनर्गठित किया गया है।

भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' शुरू किया है, जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वित किया जाएगा। यह दिनांक 01 अप्रैल 2022 से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रभावी है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "संबल" और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए "सामर्थ्य" नामक दो उप-योजनाएं हैं। 'संबल' में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)शामिल हैं। मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। मिशन शक्ति के अंतर्गत, दो घटक अर्थात् **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** और **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)** उत्तर प्रदेश राज्य सहित जरूरतमंद महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करते हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) निजी तथा सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और समर्थन प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान

करता है। आज तक उत्तर प्रदेश में कुल 79 ओएससी कार्यशील हैं और इन्होंने शुरुआत से 31.01.2025 तक 2,63,385 महिलाओं की सहायता की है। **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)** आपातकालीन और गैर-आपातकालीन जरूरतों के लिए महिलाओं को जोड़कर एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर (181) के माध्यम से 24/7 टेलीफोन सहायता प्रदान करती है और उत्तर प्रदेश में 31.01.2025 तक 8,25,373 महिलाओं की सहायता की है।

(ग) से (ड.): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के साथ-साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि का समर्थन करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख (ऑफ्टर केयर) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) (2021 में यथा संशोधित) की धारा 2(14) (ii) और (ix) के अनुसार, जो बच्चा वर्तमान में लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में काम करता हुआ पाया जाता है या भीख मांगता हुआ पाया जाता है, या बेघर और जो असुरक्षित पाया जाता है और जिसके नशीली दवाओं के दुरुपयोग या दुर्व्यापार में शामिल होने की आशंका है, उसे अन्य बातों के अलावा "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

यह योजना संकट में फंसे बच्चों के लिए 24x7 आउटरीच हेल्पलाइन सेवा का प्रदान करती है। यह चाइल्ड हेल्पलाइन एक विशेष टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से उपलब्ध है, जिसका उपयोग संकट में फंसे बच्चे या उनकी ओर से कोई भी वयस्क भारत के किसी भी हिस्से से कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं को भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता था।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय को आवंटित बजट 25,448.75 करोड़ रुपये था, जिसमें से 98.31% का उपयोग किया गया।

****